रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052026-272763
CG-DL-E-21052026-272763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948
No. 332] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

## आयुष मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

**सा.का.नि. 366(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) नियम, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. 1) इन नियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) नियम, 2020 में,

(क) नियम 5 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"स्पष्टीकरण:** - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अध्यक्ष केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, आयोग में उसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी";

(ख) नियम 10 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) आयोग के अध्यक्ष अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन ग्राहक बनने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।"

(ग) नियम 13 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"स्पष्टीकरण:-** इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में हैं, वहां स्वायत्त बोर्डों में उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी।"

(घ) नियम 18 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन ग्राहक बनने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।"

(ङ) नियम 20 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) यदि आयोग का सचिव केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, तो उसके वेतन और भत्ते, इसके निमित्त लागू नियमों या उप-नियम (1) के अनुसार जो भी अधिक हो, विनियमित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सचिव केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, वहां आयोग में उसकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति माना जाएगा।"

(च) उप-नियम (2) के खंड (ii) में "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर-21011/16/2021-ईपी-III]

सत्यजीत पॉल, वरिष्ठ सांख्यिकी सलाहकार

**टिप्पण**: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 18 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772 (अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवती संशोधित सा.का.नि. 115 (अ) तारीख 14 फरवरी 2022, द्वारा किए गए थे।

**MINISTRY OF AYUSH**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

**G.S.R. 366(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (o) and (p) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the National Commission for Homoeopathy (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2020, namely:–

1. (1) These Rules may be called the National Commission for Homoeopathy (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. In the National Commission for Homoeopathy (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and

Commercial Engagements) Rules, 2020,-

(a) in rule 5, in sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the Chairperson is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in the Commission shall be treated as on deputation.";

(b) in rule 10, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The Chairperson of the Commission shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 or the Employees' Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), as the case may be, where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.";

(c ) in rule 13, in sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:-

**"Explanation.-** For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where the President or Member is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in Autonomous Boards shall be treated as on deputation.";

(d) in rule 18, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The President and Members of the Autonomous Boards shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 or the Employees' Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) as the case may be, where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.";

(e ) in rule 20,-

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(1A) If the Secretary to the Commission is in service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him **or** sub-rule (1), whichever is higher**.**

**Explanation**.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where the Secretary is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in the Commission shall be treated as on deputation.";

(ii ) sub-rule (2), in clause (ii), for the words "fifteen years", the words "seven years" shall be substituted.''.

[F. No. R-21011/16/2021-EP-III]

SATYAJEET PAUL, Senior Statistical Advisor

**Note :** The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 772 (Exendated the 18th December, 2020 and subsequently amended, vide G.S.R. 115€, dated the 14th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.05.21 17:08:20 +05'30'